

अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा उपाय

प्रलिस के लिये:

सामाजिक सुरक्षा

मेन्स के लिये:

अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा उपाय और संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रम संबंधी [संसदीय स्थायी समिति](#) ने बढ़ती बेरोज़गारी और नौकरी छूटने पर कोवडि-19 महामारी के प्रभाव पर एक रिपोर्ट जारी की है।

- पैनल ने सरकार से सामाजिक सुरक्षा उपायों में सुधार करने और [धन के परतयक्ष हस्तांतरण](#) तथा अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिये [शहरी रोज़गार गारंटी योजना](#) जैसे उपाय करने का आह्वान किया।

सामाजिक सुरक्षा

- [अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन](#) (ILO) के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसे वंचितों को रोकने, व्यक्तियों को एक न्यूनतम न्यूनतम आय का आश्वासन देने और किसी भी अनशिक्षिता से व्यक्तियों की रक्षा करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- इसमें दो तत्व भी शामिल हैं, अर्थात्:
 - भोजन, कपड़े, आवास और चिकित्सा देखभाल तथा आवश्यक सामाजिक सेवाओं सहित स्वास्थ्य व कल्याण के लिये पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार।
 - [आय का अधिकार](#) किसी भी व्यक्तियों के न्यूनतम से परे परस्थितियों में बेरोज़गारी, बीमारी, दवियांगता, वधवापन, वृद्धावस्था या आजीविका की अन्य की स्थिति में सुरक्षा।

प्रमुख बडि:

सामाजिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता:

- [आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण](#) (PLFS) का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि 90% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में थे, जो कि 465 मिलियन श्रमिकों में से 419 मिलियन हैं।
 - रोज़गार की मौसमी और औपचारिक कर्मचारी-नयिकता संबंधों की कमी के कारण महामारी के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक श्रमिकों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है।
- दूसरी लहर के प्रभाव पर अभी तक कोई सर्वेक्षण आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं जो नरिविवाद रूप से पहली की तुलना में अधिक गंभीर रहा है।
 - हालाँकि उपाखयानात्मक साक्ष्य बताते हैं कि विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण आय की हानि हुई है, जिसने कमज़ोर वर्ग को संकट में डाल दिया है।
 - इसके अलावा [भारत में कोवडि -19 संकट](#), पहले से मौजूद उच्च और बढ़ती बेरोज़गारी की पृष्ठभूमि में आया है।
- असंगठित श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों की नौकरियों के नुकसान, बढ़ती बेरोज़गारी, ऋणग्रस्तता, पोषण, स्वास्थ्य व शिक्षा पर परिणामी प्रभाव एक लंबी अवधितक अपूरणीय क्षति डालने की क्षमता रखते हैं।

रिपोर्ट की मुख्य वशिषताएँ :

- श्रम मंत्रालय ने कोविड -19 के प्रभाव की वजह से [प्रवासी संकट](#) का प्रतिलिपि देने में देरी की।
- महामारी ने श्रम बाजार को नष्ट कर दिया है, जसिने रोजगार परदृश्य को प्रभावित कथि है और लाखों श्रमकों व उनके परिवारों के अस्तित्व को खतरा है।
- इस परदृश्य में समतिने सफारशि की:
 - **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:** कोविड-19 जैसी प्रतिकूल परस्थितियों के दौरान अनौपचारिक श्रमकों के बैंक खातों में पैसा भेजना।
 - यह [पीएम-सवन्धि योजना](#) के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को दधि गए ऋण को सीधे नकद अनुदान में परवर्तित करने का भी सुझाव देता है।
 - **यूनविरसल हेल्थकेयर:** [यूनविरसल हेल्थकेयर](#) को सरकार का कानूनी दायित्व बनाया जाना चाहिये। यह अनौपचारिक श्रमकों को अनविरय स्वास्थ्य बीमा द्वारा प्रदान कथि जा सकता है।
 - **मनरेगा सुधार:** [मनरेगा](#) के लधि बजटीय आवंटन बढ़ाया जाना चाहिये तथा मनरेगा की तर्ज पर एक शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जानी चाहिये।
 - यह मनरेगा के तहत गारंटीकृत काम के अधिकतम दनों को 100 दनों से बढ़ाकर 200 करने का सुझाव देता है।
 - **रोजगार के अवसरों में वृद्धि:** पारंपरिक कषेत्रों में नविश का लाभ उठाना, 'मेक इन इंडिया' मशिन को मज़बूत करना तथा वभिन्न कषेत्रों में प्रौद्योगिकी के प्रसार को तेज़ करने से आगे बढ़कर यह स्थानीय एवं अखलि भारतीय रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

अनौपचारिक कषेत्र का समर्थन करने के लधि पूर्व में की गई पहलें:

- [प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन \(PM-SYM\)](#)
- [श्रम सुधार](#)
- [प्रधानमंत्री रोजगार प्रोतसाहन योजना \(PMRPY\)](#)
- [PM सवन्धि: स्ट्रीट वेंडर्स के लधि सूक्ष्म ऋण योजना](#)
- [आत्मनरिभर भारत अभियान](#)
- [दीनदयाल अंतयोदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मशिन](#)
- [PM गरीब कल्याण अन्न योजना \(PMGKAY\)](#)
- [वन नेशन वन राशन कार्ड](#)
- [आत्मनरिभर भारत रोजगार योजना](#)
- [प्रधानमंत्री कसिन सम्मान नधि](#)
- [भारत के अनौपचारिक श्रमिक वर्ग को वशिव बैंक की सहायता](#)

अनौपचारिक कषेत्र के श्रमकों के कल्याण हेतु सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय:

- **प्रवासी श्रमकों का पंजीकरण:** सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को असंगठित श्रमकों की पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने का नरिदेश दधि है ताकि वे वभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत कल्याणकारी लाभों का लाभ उठा सकें।

अनौपचारिक कषेत्र के श्रमकों के कल्याण में सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय:

- **प्रवासी श्रमकों का पंजीकरण:** सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को असंगठित श्रमकों की पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने का नरिदेश दधि है ताकि वे वभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत दधि जाने वाले कल्याणकारी लाभों का उपयोग कर सकें।
- **ONORC प्रणाली के आधार पर कार्य करना:** SC ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UT) को 31 जुलाई, 2021 तक एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC) प्रणाली को लागू करने का नरिदेश दधि।
 - यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम (NFSA) के तहत आने वाले प्रवासी मज़दूरों को देश के कसी भी हसिसे में अपने राशन कार्ड के साथ कसी भी उचित मूल्य की दुकान पर राशन प्राप्त करने की अनुमति देती है।

आगे की राह

- श्रम मंत्रालय को PLFS को समय पर पूरा करने का मुद्दा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के समक्ष उठाना चाहिये।
- एक व्यापक योजना और रोडमैप की आवश्यकता है ताकि महामारी से बहुत अधिक बगिड़ती रोजगार की स्थिति और संगठित कषेत्र में नौकरी बाजार में बढ़ती असमानताओं को दूर कथि जा सके।
- असंगठित श्रमकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस वकिसति करने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा इस कषेत्र को औपचारिक बनाना, इसकी उत्पादकता में वृद्धि करना, मौजूदा आजीविका को मज़बूत करना, नए अवसर पैदा करना और सामाजिक सुरक्षा उपायों को मज़बूत करना, कोविड -19 के प्रभाव को कम करने हेतु प्रमुख कार्य हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

